प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनाँक 06.03.2025

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की गोष्ठी का किया गया आयोजन

आज दिनाँक 06.03.2025 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्तरुप से कलेक्ट्रेट परिसर में जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की गोष्ठी का आयोजन किया गया । जिसमें रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारी वाहनों जैसे गन्ने का ट्रैक्टर,ट्रक, ट्राला बस आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाने हेतु निर्देशित किया गया, परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए । सड़क पर बिना लाइसेंस व फिटनेस के वाहनों की जाँच की जायेगी, बसों के स्पीड कंट्रोल डिवाइस की जांच, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच एवं क्रू की वर्दी की जांच, निगम एवं अनुबंधित बसों में रिफलेक्टिव टेप लगायें, चालकों को रात में बस संचालन के दौरान हेडलाइट के हाईबीम प्रयोग के संबंध में जानकारी देना जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित कराया जाएगा। परिचालकों को नशा न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रैश ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए मार्ग पर बसों का औचक निरीक्षण तथा चालकों की काउंसिलिंग के साथ ही समस्त चालकों की सड़क सुरक्षा के संबंध में काउंसिलिंग एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत सीएमवीआर रुल्स तथा वर्तमान परिस्थितियों में एक्सप्रेस-वे व अन्य हाईवेज पर बस के सुरक्षित संचालन, लेन ड्राइविंग ओवरटेकिंग, ब्रेकिंग आदि की जानकारी दी जायेगी । गोष्ठी के दौरान प्रभारी यातायात श्री परमहंस, सहित अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा बाईक व ई-रिक्शा में टक्कर हो जाने से घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरबी 5994 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत गोइठहा (बरईपुरवा) से कालर द्वारा बाइक व ई-रिक्शा में टक्कर हो जाने के कारण घायल 03 व्यक्तियों (1. उमेश चौधरी पुत्र बेनी प्रसाद 2. रमेश चौधरी पुत्र रामसूरत निवासीगण ग्राम सुपौली थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर 3.नूरजहाँ खातून पत्नी शकील अहमद ग्राम मैथवलिया खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहर कला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 धनन्जय सिंह, आ0 हरिशंकर गौंड, हो0चा0 उमेश यादव ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनों से 95,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनों से 95,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 97/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 3(ii)(v), 3(ii)(va) एससी एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अकबर अली उर्फ सुड्डु पुत्र अहमद अली निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 06.03.2025 को डिहवा पुलिया तिराहा बैड़ारी रोड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 03.03.2025 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 राणा प्रताप यादव, हे0का0 मोहन ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामलें में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा आर्म्स एक्ट में 01 अभियुक्त को 01 साल के कठोर कारावास तथा कुल 4,15,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 06.03.2025 को *मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतकबीरनगर* के द्वारा हत्या के मामलें में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा आर्म्स एक्ट में 01 अभियुक्त को 01 साल के कठोर कारावास तथा कुल 4,15,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

विवरणः-

मु0अ0सं0 151/2023 धारा 302, 323, 504, 506, 120B भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त 01. इरफान पुत्र अजीजुद्दीन निवासी मुसरद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आजीवन कारावास व 4,00,000रु0 के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त 02. मो0 मोबीन पुत्र गुलाम रसूल निवासी मुसरद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0 इरफान उपरोक्त को 02 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा अभि0 मो0 मोबीन उपरोक्त को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा अन्तर्जनपदीय कुश्ती कलस्टर (महिला / पुरूष), (कुश्ती, बाक्सिंग, बाडी बिल्डिंग तथा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता) वर्ष- 2025 के श्री कांशीराम जी डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम संतकबीरनगर में समापन पर विजेताओं को किया गया पुरस्कार वितरित

आज दिनांक 06.03.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री दिनेश कुमार पी.* तथा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा गोरखपुर जोन की पुलिस कुश्ती कलस्टर (महिला / पुरूष), (कुश्ती, बाक्सिंग, बाडी बिल्डिंग तथा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता) वर्ष- 2025 के श्री कांशीराम जी डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम संतकबीरनगर में समापन पर विजेताओ को पुरस्कार वितरित किया गया। जिसमें जोन की कुल 09 जनपदो से कुल 186 खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता की सभी मैच स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड लखनऊ के निर्देशानुसार कराये गये। सम्पूर्ण प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने में विभिन्न जनपदो से आये निर्णायक मण्डल ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इस प्रतियोगिता में चल बैजयन्ती प्राप्त करने वाले जनपदो के नाम इस प्रकार है

- कुश्ती (पुरुष) प्रतियोगिता विजेता जनपद गोण्डा
- कुश्ती (महिला) प्रतियोगिता विजेता जनपद संतकबीरनगर
- बाक्सिंग (पुरुष) प्रतियोगिता विजेता जनपद बस्ती
- बाक्सिंग (महिला) प्रतियोगिता विजेता जनपद संतकबीरनगर
- बॉडी बिल्डिंग (पुरुष) प्रतियोगिता विजेता जनपद सिद्धार्थनगर
- बॉडी बिल्डिंग (महिला) प्रतियोगिता विजेता जनपद बहराईच
- आर्म रेसलिंग (पुरुष) प्रतियोगिता विजेता जनपद संतकबीरनगर

आर्म रेसलिंग (महिला) प्रतियोगिता विजेता जनपद सिद्धार्थनगर

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 07 स्थानो पर लगवाये गये 39 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 06.03.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 07 स्थानो पर 39 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 स्थानों पर 11 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 15 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 09 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती द्वारा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के साथ आगामी त्योहारों होली व रमजान के दृष्टिगत पुलिस लाईन सभागार कक्ष संतकबीरनगर में की गयी गोष्ठी, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनाँक 06.03.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री दिनेश कुमार पी.*** द्वारा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के साथ पुलिस लाइन सभागार संत कबीर नगर मे आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत गोष्ठी की गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती द्वारा गोष्ठी मे निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :-

(01) आगामी होली का त्यौहार व जुमें की नमाज एक ही दिन पड़ रही है व रमजान माह चल रहा है। जिस कारण विशेष सतर्कता बरती जाये।

(2) होली जुलूस के आयोजकों व मस्जिदों के मौलानाओं से वार्ता कर यह सुनिश्चित किया जाये कि होली जुलूस व जुमा की नमाज का समय एक साथ ना हो।

(3) QRT टीम बनाकर वायरलेस के साथ संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी लगाई जाये। सभी अधिकारी/ कर्मचारीगण की ड्यूटी मय दंगा निरोधी उपकरण जुलूसों के साथ व मस्जिदों पर लगायी जाये।

(4) होली त्यौहार से संबंधित निकलने वालों जुलूसों पर विशेष दृष्टि रखकर जुलूस सकुशल संपन्न कराया जाये।

(5) सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विधिक कार्यवाही की जाये।

(6) आगामी होलिका दहन निर्धारित स्थान पर ही परंपरागत रुप से रखा जाये। होलिका दहन के स्थान के आस-पास के लोगों से वार्ता कर निगरानी किये जाने का अनुरोध कर लिया जाये।

(7) UP- 112 के होली के दो दिन पूर्व से लेकर होली के दो दिन बाद तक की सूचना/डेटा का अवलोकन कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।हाटस्पाट चिन्हित कर चेकिंग कराकर कार्यवाही करायी जाये।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह***, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*,** क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*,** क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** सहित जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहें।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1251/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 419/120बी भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता जावेद खान पुत्र स्वाले खान निवासी अतीश बाजान थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर को डीघा बाइपास सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.12.2023 को उक्त अभियुक्त द्वारा 24 अदद गोवंशीय जिसमें 20 अदद गोवंशीय जीवित व 04 अदद गोवंशीय मृत अवस्थआ में ट्रक कंटेनर में बस्ती की तरफ से गोरखपुर की तरफ ले जाते समय वाहन चेकिंग के दौरान कब्जे में लेकर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी। आज दिनांक 06.03.2025 को उक्त अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

जावेद खान पुत्र स्वाले खान निवासी अतीश बाजान थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 1251/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 419/120बी भा0द0वि0।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ललितकांत, हे0का0 गनेश प्रसाद, का0 सुनील पाल।